पत्र संख्या–कमिश्नर कैम्प/2021–22/ 303 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह चन्देल,
ज्वाइण्ट कमिश्नर एवं
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी,
वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0।

सेवा में,

1– समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
2– समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(कमिश्नर कैम्प) लखनऊ :: दिनांक :: 22 अक्टूबर, 2021

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 25.10.2021 दिन सोमवार को अपराह्न 04:00 बजे आप सभी के साथ डेस्क टॉप कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संलग्न एजेण्डा के अनुसार बैठक की जाएगी।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उपरोक्त डेस्कटॉप कान्फ्रेंसिंग बैठक में आवश्यक तैयारी के साथ ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

22/10/21

(राजेश प्रताप सिंह चन्देल)
ज्वाइण्ट कमिश्नर एवं
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी,
कमिश्नर, वाणिज्य कर, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :

1. एडीशनल कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0) एवं एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त बैठक में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

2. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने एवं उपरोक्त डेस्कटॉप कान्फ्रेंसिंग बैठक हेतु समस्त अधिकारियों को ऑन लाइन माध्यम से जोड़े जाने की व्यवस्था करने हेतु।

ज्वाइण्ट कमिश्नर एवं
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी,
कमिश्नर, वाणिज्य कर, लखनऊ।

कमिश्नर, वाणिज्य कर की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2021 को अपराह्न 04.00 बजे एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) के साथ डेस्कटॉप कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षा बैठक का एजेण्डा

1. फाइल रिटर्न की स्क्रूटनी एवं प्रतिकूल पाये गये मामलों में कृत कार्यवाही की समीक्षा।
2. नॉन फाइल रिटर्न/नॉन फाइलर्स की स्क्रूटनी एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा।
3. बकाया वसूली की प्रगति का अनुश्रवण।
4. वर्ष 2021–22 हेतु संग्रह लक्ष्य प्राप्त करने की योजना।
5. दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि में वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा करापवंचन के प्रकाश में लाए गए सबसे बड़े पांच मामलों में कृत कार्यवाही एवं वसूली की अद्यतन स्थिति।
6. Enforcement Alert के माध्यम से बोगस आई0टी0सी0 के उपलब्ध कराए गए मामलों में नियम–86ए के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।
7. सचल दल के अन्तर्गत निम्न कार्यवाहियों की समीक्षा :–
   (क) मानक के सापेक्ष वाहनों/संवेदनशील वाहनों की जांच एवं अभिग्रहण।
   (ख) संवेदनशील वस्तुओं के ई–वे बिलों का सत्यापन।
   (ग) आरएफआईडी टैग रहित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही।
   (घ) चिन्हित ट्रांसपोर्टर के वाहनों का भौतिक सत्यापन/प्रतिकूल मामलों में कृत कार्यवाही।

(नोट–एमआईएस पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर समीक्षा की जाएगी)